संख्याः /xxvii(7)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 20 अक्टूबर,2011

विषयः–राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को माह अक्टूबर,2011 के वेतन का भुगतान दिनांक 31 अक्टूबर,2011 के स्थान पर 24 अक्टूबर,2011 को भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सूच्य है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान माह के अंतिम दिवस को किया जाता है। माह अक्टूबर,2011 में 25 अक्टूबर,2011 से 28 अक्टूबर,2011 तक क्रमशः धनतेरस, दीपावली तथा भइयादूज के त्यौहार आ रहे है। उसके बाद अंतिम कार्यदिवसों में भी अवकाश पड़ रहे हैं।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह अक्टूबर,2011 के अंतिम दिवसों में आ रहे उक्त त्यौहारों के दृष्टिगत राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को माह अक्टूबर,2011 के वेतन का भुगतान दिनांक 31 अक्टूबर,2011 के स्थान पर दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 को भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे उक्त तिथि तक राज्य कर्मचारियों के वेतन के देयक कोषागार में जमा करते हुए समय से वेतन का भुगतान सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त

संख्या : 236 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड ,देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
10. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।